रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 75] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

**संचार मंत्रालय**

**(डाक विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 89(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (डाक निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में डाक निरीक्षक के पद की भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक निरीक्षक) भर्ती नियम, 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर**: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं** : वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा गैर-चयन पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| डाक निरीक्षक | 2210* (2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित सचिवीय) | स्तर 7<br>(44,900-1,42,400 रु.) | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| अधिकतम 30 वर्ष<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट है)<br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि, कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार होगी। | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री | लागू नहीं |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो, | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |
| दो वर्ष<br>अनिवार्य प्रशिक्षण : परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के भाग के रूप में, सीधी | (i) 33.34 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और | **परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा:**<br>केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता सेवा निर्धारित करने के लिए, निर्णायक तारीख को आठ वर्ष की नियमित अर्हक सेवा के साथ; नीचे विनिर्दिष्ट, विभिन्न श्रेणियों के पदधारी, परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:- |

| | | |
|---|---|---|
| भर्ती किए जाने वाले तथा प्रोन्नत अधिकारियों के लिए डाक विभाग द्वारा पद से संबंधित दायित्वों के क्षेत्र में तैयार किया गया तथा प्रायोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना। | (ii) 66.66 प्रतिशत परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा | (क) निम्न चयन श्रेणी और डाक सहायक या छंटाई सहायक के रूप में की गई नियमित सेवा सहित, सभी कार्यालयों के उच्च चयन श्रेणी-II (स्तर 6);<br>(ख) पोस्टमास्टर ग्रेड-I और डाक सहायक के रूप में नियमित सेवा सहित, सभी कार्यालयों के पोस्टमास्टर ग्रेड-II (स्तर 6);<br>(ग) आशुलिपिक ग्रेड-II के रूप में नियमित सेवा सहित, सभी कार्यालयों के आशुलिपिक ग्रेड-I (स्तर 6);<br>(घ) डाक सहायक या छंटाई सहायक के रूप में नियमित सेवा सहित, सभी कार्यालयों के निम्न चयन श्रेणी (स्तर 5);<br>(ङ.) डाक सहायक के रूप में नियमित सेवा सहित, सभी कार्यालयों के पोस्टमास्टर ग्रेड-I (स्तर-5);<br>(च) सभी कार्यालयों के डाक सहायक/छंटाई सहायक (स्तर 4);<br>(छ) डाक सहायक के रूप में नियमित सेवा सहित सभी कार्यालयों के आशुलिपिक ग्रेड-II (स्तर 4)<br>**टिप्पण: परि**सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा, रिक्ति वर्ष के लिए, पात्रता निर्धारण करने की निर्णायक तिथि को, अधिकतम 45 वर्ष होगी। |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना** | **वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है** |
|---|---|
| 12 | 13 |
| **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए):**<br>1. निदेशक, डाक सेवाएं – **अध्यक्ष**<br>2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल - सदस्य<br>3. वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर – सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 7-3/2016-एसपीएन-II]

सत्य नारायण दाश, निदेशक (एसपीएन)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

**(Department of Posts)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2019

**G.S.R. 89(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Inspector Posts) Recruitment Rules, 2013, regulating the method of recruitment to the post of Inspector Posts, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector Posts in the Department of Posts, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Department of Posts (Inspector Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix** -The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc**. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax**.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of post.** | **Number of post.** | **Classification** | **Level in the pay matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** | **Age limit for direct recruits.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| Inspector Posts. | 2210* (2019) * Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial. | Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) | Not applicable | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|
| **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| Bachelor's Degree from a recognised university or institute | Not applicable | Two years.<br>Mandatory Training:<br>Successful completion of induction training in the field of responsibilities of the post as devised and sponsored by Department of Posts, for direct recruit and promotee Officers, as part of successful completion of probation. | 33.34% by direct recruitment through Staff Selection Commission<br>66.66% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination. |